[To be published in the Gazette of India Extra-ordinary Part-II, Section 3, Sub-section (i)]

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2016

G.S.R. _____ (E). In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Company Law Tribunal Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the National Company Law Tribunal (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Company Law Tribunal Rules, 2016, (hereinafter referred to as the principal rules), in "Part-I", for the heading, "Definitions, forms and etc.", the heading "Definitions and forms etc." shall be substituted;

3. In the principal rules, in rule 2,-

(a) in clause (5), the words "interlocutory application" shall be omitted;

(b) in clause (9), in sub-clause (d), for the words "or a chartered accountant or a cost accountant or a company secretary", the words "or a chartered accountant in practice or a cost accountant in practice or a company secretary in practice" shall be substituted.

4. In the principal rules, after rule 23, the following rule shall be inserted, namely:-

"23A. Presentation of joint petition. - (1) The Bench may permit more than one person to join together and present a single petition if it is satisfied, having regard to the cause of action and the nature of relief prayed for, that they have a common interest in the matter.

(2) Such permission shall be granted where the joining of the petitioners by a single petition is specifically permitted by the Act.".

5. In the principal rules, in rule 25, for the words "in the form prescribed", the words "in the Form No. NCLT 3C" shall be substituted.

6. In the principal rules, in rule 27, in sub-rule (1), for the words, "or by any other advocate or authorised representative whether engaged in the case or not or if the advocate or authorised representative engaged in the case authenticates such certificate or prepared by a translator approved for the purpose by the Registrar on payment of such charges as he may order", the words "or if the authorised representative engaged in the case authenticates such certificate or prepared by a translator approved for the purpose by the Registrar on payment of such charges as he may order" shall be substituted.

7. In the principal rules, in rule 38,-

(i) in sub-rule (1), after the words "by post", the words "or by courier" shall be inserted;

(ii) in sub-rule (2), in clause (b), after the words, "acknowledgement due" the words, "or by courier" shall be inserted;

(iii) after sub-rule (2), the following Explanation shall be inserted, namely :-

Explanation.—For the purposes of sub-rules (1) and (2), the term "courier" means a person or agency which delivers the document and provides proof of its delivery.

8. In the principal rules, after rule 38, the following Rule shall be inserted, namely :-

"38A. Multiple remedies - A petition shall be based upon a single cause of action and may seek one or more reliefs provided that the reliefs are consequential to one another.".

9. In the principal rules, after rule 68, the following rule shall be inserted, namely:-

"68A. Application to cancel variation of rights under sub-section (2) of section 48.- (1) Where an application to cancel a variation of the rights attached to the shares of any class is made on behalf of the shareholders of that class entitled to apply for cancellation under sub-section (2) of section 48 by the letter of authority signed by the shareholders so entitled, authorising the applicant or applicants to present the application on their behalf, such letter of authority shall be annexed to the application, and the names and addresses of all the shareholders, the number of shares held by each of them, aggregate number of such shares held and percentage of the issued shares of that class shall be set out in the Schedule to the application.

(2) The application in **Form No. NCLT. 1** shall be accompanied by documents required for the purposes of the case and shall set out -

(a) the particulars of registration;

(b) the capital structure, the different classes of shares into which the share capital of the company is divided and the rights attached to each class of shares;

(c) the provisions of the memorandum or articles authorising the variation of the rights attached to the various classes of shares;

(d) the total number of shares of the class whose rights have been varied;

(e) the nature of the variation made, and so far as may have been ascertained by the applicants, the number of shareholders of the class who gave their

consent to the variation or voted in favour of the resolution for variation and the number of shares held by them;

(f) the number of shareholders who did not consent to the variation or who voted against the resolution, and the number of shares held by them;

(g) the date on which the consent was given or the resolution was passed; and

(h) the reasons for opposing the variation.

(3) The applicant shall at least fourteen days before the date of the filing of the petition advertise the application in accordance with rule 35.

(4) Where any objection of any person whose interest is likely to be affected by the proposed application is received by the applicant, a copy thereof shall be served to the Registrar of Companies and Regional Director on or before the date of hearing.

(5) On any application, the Tribunal, after hearing the applicant and any other person, as appears to it, to be interested in the application, may, if it is satisfied, having regard to all the circumstances of the case that the variation would unfairly prejudice to the shareholders of the class represented by the applicant, cancel the variation and shall, if not so satisfied, confirm the variation for reasons to be recorded:

Provided that the Tribunal may, at its discretion, make such orders as to cost as it thinks fit.".

10. In the principal rules, in rule 69, sub-rule (3), shall be omitted.

11. In the principal rules, in rule 70, sub-rule (6), shall be omitted.

12. In the principal rules, after rule 76, the following rule shall be inserted, namely:-

"76A. Application under section 130.- The Central Government, the Income-tax authorities, the Securities and Exchange Board of India, any other

statutory regulatory body or authority or any person concerned may file an application in **Form No. NCLT. 9** for re-opening of books of accounts and for re-casting of financial statement of a company under section 130 of the Act and such application shall be accompanied by such documents as mentioned in Annexure-B.".

13. In the principal rules, after rule 83, the following rule shall be inserted, namely:-

"83A. Application under sub-section (1) of section 244.- An application in **Form No. NCLT. 9** may be filed before the Tribunal for waiver of requirement of clause (a) or (b) of Section 244 of the Act which shall be accompanied by such documents as mentioned in Annexure-B.".

14. In the principal rules, in rule 112, in sub-rule (3), after the words, "shall be paid by means of", the words, "an Indian Postal Order or by" shall be inserted.

15. In the principal rules, in the Schedule of Fees, in serial number 10, under the heading 'Nature of application/petition', for the word, "deposition" the word, "depositor" shall be substituted.

16. In the principal rules, in Annexure 'A',-

(a) for Form No. NCLT. 3, the following Form No. NCLT. 3 shall be substituted, namely:-

FORM NO. NCLT. 3
[See rule 34]

Before the National Company Law Tribunal
_____ Bench
I.A. No. _____/20__

in
C.P./C.A. No._____20__

In the matter of Companies Act, 2013

AB .....Applicant/Petitioner
Vs.
CD .....Respondent

NOTICE OF MOTION

Date: _____

From: _____ (Insert name of party filing the Motion)

To : The National Company Law Tribunal

Concerning:
(Name and file number of matter being considered by the National Company Law Tribunal)

Name:_____

File No:_____

The Party named above requests that the Tribunal grant the following relief:

_____

(Insert the relief or order sought)

In terms of

_____

(Insert the section of the Act, or the Rules/Regulation, that provides for the order or relief sought)

For the following reasons:

(Insert a concise statement of the circumstances, and the particulars of the request)

In support of this Application, the applicant has attached an affidavit setting out the facts on which the Applicant relies.

Name and Title of person signing on behalf of Applicant:

Authorised Signatory and Address:

Tel No.
Fax No.
e-mail:

This form is prescribed under Rule 4 under NCLT Rules, 2016.

For rehabilitation :	**Rehab. Petition No.**
For Transferred (CLB/BIFR/AAIFR/HC) No.	**Transfer Petition**
Matters from the CLB/BIFR/AAIFR/HC :	**(CP. No. OR.....)**
For Other matters :	**Company Petition No.**

(b) after Form No. NCLT 3B, the following Form shall be inserted, namely:-

"FORM No. NCLT 3-C

[see rule 25]

Before the National Company Law Tribunal
(Caveat No. ____of 20)

Heading as in FORM No. NCLT 4.

Memorandum of Caveat

1. Set out details of the order against which appeal or application or petition is expected.

2. a) Address for service on the caveator
   b) Address for service on the Counsel for the caveator

3. Specify the authority who passed the order with reference number and date (enclose copy of order appealed against).

4. Set out the details of expected Appellant (s)/Petitioner (s)/ Applicant(s)

With address (i) _____
(ii) _____
(iii) _____

5. Prayer : Let no orders be passed in the appeal expected to be filed or in any petition or application or interlocutory application that may be preferred by the expected Appellant/Petitioner/Applicant without service of notice on the caveator.

The caveator undertakes to accept service of appeal or petition or application and appear before this Tribunal on the date and time at which the appeal/petition/application is moved by expected appellant/petitioner/ Applicant.

Dated at _____Day_____of (Month)

Counsel for Caveator
Caveator

Verification

The caveator above named state and verify that the contents of this caveat lodged are true and correct.

Verified at New Delhi on This _____day of _____20 .

Caveator"

17. In the principal rules, in the Annexure B,-

(a) in serial number 7, under the heading 'Nature of Petition', for the word "deposition" the word "depositor" shall be substituted;

(b) in serial number 8, under the heading 'Enclosures to the Petition', in para 2, the word "small" shall be omitted;

(c) after serial number 12, following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

S. No.	Section of the Act	Nature of Petition	Enclosures to the Petition
13.	–	Wherever no document is prescribed to be attached with the application or petition, documents as mentioned in next column may be attached, as applicable.	1. Document and / or other evidence in support of the statement made in the application or appeal or petition, as are reasonably open to the petitioner(s); 2. Documentary evidence in proof of the eligibility and status of the petitioner(s) with the voting power held by each of them, wherever applicable; 3. Where the petition is presented on behalf of members, the letter of consent given by them, if applicable; 4. Statement of particulars showing names, address, number of shares held, and whether all calls and other monies due on shares have been paid in respect of members who have given consent to the petition being presented on their behalf; 5. Where the petition is presented by a member or members authorised by the Central Government, the order of the Central

			Government authorising the officer(s) or member or members to present the petition shall be similarly annexed to the petition; 6. Affidavit verifying the petition; 7. Evidence regarding payment of fee; 8. Memorandum of appearance with copy of the Board resolution or the vakalatnama, as the case may be; 9. Three copies of the petition; and 10. Any other documents in support of the case.

F No 1/30/2013-CL-V

30/12/2016

(Amardeep Singh Bhatia)
Joint Secretary

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 716 (E), dated 21st July 2016.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसंबर, 2016

सा.का.नि. _____ (अ).- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के "भाग-I" में "परिभाषाएं, और प्ररूप आदि" शीर्षक के स्थान पर "परिभाषाएं और प्ररूप आदि" शीर्षक रखा जाएगा;

3. मूल नियमों के, नियम 2 में -

(क) खंड (5) में "अंतरवर्ती आवेदन" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (9) में, उपखंड (घ) में "अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखाकार या किसी कंपनी सचिव" शब्दों के स्थान पर "या किसी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी व्यवसायरत लागत लेखाकार या किसी व्यवसायरत कंपनी सचिव" शब्द रखे जाएंगे।

4. मूल नियम में, नियम 23 के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"23क. संयुक्त याचिका की प्रस्तुति - (1) यह न्यायपीठ यदि वाद हेतुक और मांगी गई राहत की प्रकृति के संबंध में संतुष्ट है कि मामले में उनके हित एक समान हैं तो वह एक से अधिक व्यक्तियों को संयुक्त रूप से एक ही याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है।

(2) इस प्रकार की अनुमति तभी दी जाएगी जबकि अधिनियम द्वारा याचियों को संयुक्त रूप से एक याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति विशेष रूप से दी गई हो"।

5. मूल नियम में, नियम 25 में "विहित प्ररूप में" शब्दों के स्थान पर "प्ररूप संख्या एनसीएलटी-3ग" शब्द रखे जाएंगे।

6. मूल नियम में, नियम 27 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही में प्रयुक्त किए जाने के लिए आशादित अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी अन्य भाषा में किसी दस्तावेज को, रजिस्ट्री द्वारा ऐसी अंग्रेजी प्रति के साथ जिस पर दोनों पक्षकार सहमत हैं या मामले में पक्षकारों के निमित नियोजित किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सही अनुदित प्रति के साथ या मामले में नियोजित प्राधिकृत प्रतिनिधि ऐसे प्रमाण पत्र के साथ जिसे वह अधिप्रमाणित करता है या जिसे किसी अनुवादक द्वारा उस प्रयोजन के लिए, रजिस्ट्रार द्वारा ऐसे प्रभारों के संदाय पर, जो वह आदेश करे, तैयार किया गया है।"

7. मूल नियम के, नियम 38 में

(i) उपनियम (1) में "डाक पते पर" शब्दों के पश्चात् "या कोरियर द्वारा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपनियम (2) में खंड (ख) में "समुचित पावती के साथ" शब्दों के पश्चात् "या कोरियर द्वारा" शब्द रखे जाएंगे।

(iii) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

स्पष्टीकरण- उपनियम (1) और उपनियम (2) के प्रयोजनों के लिए "कोरियर" शब्द से ऐसा व्यक्ति या एजेंसी अभिप्रेत है जो दस्तावेज परिदान करता है और इसके परिदान का प्रमाण भी देता है।

8. मूल नियम में, नियम 38 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**38क. विविध उपचार.-** कोई याचिका एक ही कारण पर आधारित होगी और इसमें एक या अधिक राहत तभी मांगी जाएगी जबकि यह राहत एक-दूसरे की परिणामिक हों"।

9. मूल नियम में, नियम 68 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"68क. धारा 48 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारों में परिवर्तन रद्द करने के लिए आवेदन- (1) यदि शेयरधारकों का कोई वर्ग जो धारा 48 की उपधारा (2) के अधीन रद्द करने के लिए आवेदन करने का पात्र है, इस प्रकार से पात्र शेयरधारकों द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र द्वारा ऐसे शेयरधारकों की ओर से किसी वर्ग से जुड़े अधिकारों के परिवर्तन को रद्द करने के लिए आवेदन करता है तो आवेदन के साथ संलग्न ऐसे प्राधिकार पत्र, सभी शेयरधारकों के नाम और पते, उनमें से प्रत्येक द्वारा धारित शेयरों की संख्या, धारित ऐसे शेयरों की कुल संख्या और जारी किए गए शेयरों में उस वर्ग का प्रतिशत का आवेदन की अनुसूची में उल्लेख किया जाएगा।

(2) **प्ररूप संख्या एनसीएलटी-1** में आवेदन के साथ मामले के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित दस्तावेज लगाए जाएंगे और इसका उल्लेख किया जाएगा -

(क) रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टताएं;

(ख) पूंजीगत संरचना, शेयरों के विभिन्न वर्ग जिनमें कंपनी की शेयरपूंजी विभक्त है और शेयरों के प्रत्येक वर्ग से जुड़े अधिकार;

(ग) ज्ञापन या अनुच्छेदों के उपबंध जिनमें शेयरों से विभिन्न वर्गों से जुड़े अधिकारों के परिवर्तन को प्राधिकृत किया गया है;

(घ) उस वर्ग के शेयरों की कुल संख्या जिनके अधिकारों में परिवर्तन किया गया है;

(ङ) किए गए परिवर्तन की प्रकृति और जहां तक आवेदकों द्वारा निश्चित किया गया हो, उस वर्ग के शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने परिवर्तन के लिए अपनी सहमति दी है या परिवर्तन के लिए संकल्प के पक्ष में मतदान किया है और उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या;

(च) शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने परिवर्तन के लिए सहमति नहीं दी थी या संकल्प के विरूद्ध मतदान किया था और उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या;

(छ) तारीख जब सहमति दी गई या संकल्प पारित किया गया;

(ज) परिवर्तन का विरोध करने के कारण।

(3) आवेदक याचिका फाइल करने की तारीख से कम से कम चौदह दिन पहले नियम 35 के अनुसार आवेदन का विज्ञापन देगा।

(4) यदि आवेदक को किसी ऐसे व्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त होती है जिसका हित प्रस्तावित आवेदन द्वारा प्रभावित होने की संभावना है तो वह उसकी एक प्रतिलिपि सुनवाई की तारीख को या उससे पहले कंपनी रजिस्ट्रार और क्षेत्रीय निदेशक को देगा।

(5) यह अधिकरण कोई आवेदन मिलने पर आवेदक और उपस्थित होने वाले किसी अन्य व्यक्ति की सुनवाई के पश्चात् यदि मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट है कि इस परिवर्तन का आवेदक द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे शेयरधारकों के वर्ग पर अनुचित प्रतिकूल प्रभाव होगा तो वह परिवर्तन रद्द कर सकता है और यदि वह संतुष्ट नहीं है तो दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ परिवर्तन की पुष्टि करेगा :

परन्तु लागत के संबंध में अधिकरण अपने विवेकाधिकार से ऐसे आदेश कर सकता है जैसा वह उपयुक्त समझे"।

10. मूल नियम में, नियम 69 में उपनियम (3) का लोप किया जाएगा।

11. मूल नियम में, नियम 70 के उपनियम (6) का लोप किया जाएगा।

12. मूल नियम में, नियम 76 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**76क. धारा 130 के अधीन आवेदन** - केन्द्रीय सरकार, आयकर प्राधिकारी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, कोई अन्य सांविधिक नियामक संस्था या प्राधिकरण या कोई संबंधित व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 130 के अधीन किसी कंपनी की लेखा बही दोबारा खुलवाने और कंपनी के वित्तीय कथन दोबारा तैयार करने के लिए **प्ररूप संख्या एनसीएलटी-9** में आवेदन फाइल कर सकता है और ऐसे आवेदन के साथ इस प्रकार के दस्तावेज़ लगाए जाएंगे जिनका उल्लेख उपाबंध "ख" में किया गया है"।

13. मूल नियम में नियम 83 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**83क. धारा 244 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन.-** अधिनियम की धारा 244 के खंड (क) या खंड (ख) की अपेक्षाओं से छूट के लिए अधिकरण के समक्ष **प्ररूप संख्या एनसीएलटी-9** में उपाबंध "ख" में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन फाइल की जा सकती है।

14. मूल नियम के नियम 112 में उपनियम (3) में "देय फीस की" शब्दों के पश्चात् "भारतीय पोस्टल आर्डर या द्वारा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

15. मूल नियम में फीस की अनुक्रमणिका में क्रम सं. 10 में 'आवेदन/याचिका की प्रकृति' शीर्षक के अधीन "निक्षेपण" शब्द के स्थान पर "निक्षेपक" शब्द रखा जाएगा।

16. मूल नियम के, उपाबंध-'क' में,

(क) प्ररूप संख्या एनसीएलटी-3 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप संख्या एनसीएलटी-3 रखा जाएगा, अर्थात्:-

प्ररूप संख्या एनसीएलटी-3

[नियम 34 देखें]

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण स्थित _____ न्यायपीठ के समक्ष

आई ए सं. _____ /20____

सीपी/सीए सं. _____ 20____

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में

कख _____ आवेदक/याची

बनाम

गघ _____ प्रतिवादी

प्रस्ताव सूचना

तारीख: _____

आवेदक: _____ (प्रस्ताव फाइल करने वाले पक्ष का नाम लिखें)

सेवा में: राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण

संबंधित:

(राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा विचार किए जा रहे मामले का नाम और फाइल संख्या)

नाम: _____

फाइल संख्या: _____

उपर्युक्त पक्ष अनुरोध करता है कि अधिकरण निम्नलिखित राहत प्रदान करे:

_____

(मांगी गई राहत या आदेश)

के संदर्भ में _____

(अधिनियम की धारा, या नियम/विनियमन बताएं जिसके अधीन प्रार्थित आदेश या राहत के लिए उपबंध है)

निम्नलिखित कारणों से:

_____

(परिस्थितियों का संक्षिप्त विवरण और आवेदन की विशिष्टताएं बताएं)

_____

इस आवेदन के समर्थन में, आवेदक ने शपथ पत्र संलग्न किया है जिसमें वे तथ्य दिए गए हैं जिनके आधार पर आवेदन किया गया है।

आवेदक की ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम:

_____

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और पता:

_____

_____

दूरभाष संख्या: _____

फैक्स संख्या: _____

ई-मेल: _____

यह प्ररूप एनसीएलटी नियम, 2016 के नियम 4 के अधीन विहित है।

पुनर्वास के लिए: **पुनर्वास याचिका संख्या:**

अंतरित **अंतरण याचिका**

(सीएलबी/बीआईएफआर/एएआईएफआर/एचसी) संख्या:

सीएलबी/बीआईएफआर/एएआईएफआर/एचसी

से प्राप्त मामले: **(सीपी संख्या या _____)**

अन्य मामलों के लिए: **कंपनी याचिका संख्या**

(ख) प्ररूप संख्या एनसीएलटी-3ख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

प्ररूप संख्या एनसीएलटी-3ग

[नियम 25 देखें]

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष

(20 _____ की कैविएट संख्या _____)

प्ररूप संख्या एनसीलएटी 4 के शीर्षक में

कैविएट ज्ञापन

1. वह आदेश जिसके विरूद्ध अपील या आवेदन या याचिका की जानी है का विवरण उपवर्णित करें।

2. क) कैविएटकर्ता पर तामील के लिए पता
   ख) कैविएटकर्ता के वकील का तामील के लिए पता

3. संदर्भ संख्या और तारीख सहित आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी का नाम निर्दिष्ट करें (जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई है की प्रति संलग्न करें)

4. प्रत्याशित अपीलकर्ता (ओं)/याची/आवेदक(कों) का विवरण उपवर्णित करें

(पते सहित) (i) _____
(ii) _____
(iii) _____

5. प्रार्थनाः कैविएटकर्ता की सूचना की तामील के बिना दायर की जाने वाली अपील या किसी याचिका या आवेदन या अंर्तवर्ती आवेदन जो प्रत्याशित अपीलकर्ता/याची/आवेदक द्वारा प्रयोग में लाई जा सकती है, में कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

कैवियटकर्ता अपील या याचिका या आवेदन को स्वीकार करने और अधिकरण के समक्ष उस तारीख और समय, जब अपेक्षित अपीलकर्ता/याची/आवेदक द्वारा अपील/याचिका/आवेदन को भेजा जाना है, को प्रस्तुत करने का वचन देता है।

तारीख ____ दिन ____ (मास) _____

कैवियटकर्ता के लिए परामर्शी

कैवियटकर्ता

सत्यापन

उपर्युक्त नाम का केवियटकर्ता उल्लेख और सत्यापित करता है कि इस कैवियट में दर्ज विषयवस्तु सत्य और सही है।

तारीख ____ दिन ___ 20 ___ को नई दिल्ली में सत्यापित किया गया।

कैवियटकर्ता

17. मूल नियम में, उपाबंध-ख में -

(क) क्रम संख्या 7 में, शीर्षक 'याचिका की प्रकृति' के अधीन 'निक्षेपण' शब्द के स्थान पर 'निक्षेपक' शब्द रखा जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 8 में, 'याचिका के साथ संलग्नक' शीर्षक के अधीन पैरा 2 में, "लघु" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ग) क्रम संख्या 12 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

क्रम संख्या	अधिनियम की धारा	याचिका की प्रकृति	याचिका के साथ संलग्नक
13	--	जहां आवेदन या याचिका के साथ कोई दस्तावेज संलग्न करने का प्रावधान नहीं हैं, तो अगले कॉलम में यथाउल्लिखित दस्तावेजों जैसा लागू हो, संलग्न	1. आवेदन या अपील या याचिका में दिए गए विवरण के समर्थन दस्तावेज और/या अन्य साक्ष्य जो याची(याचियों) के लिए उचित हैं; 2. याची (याचियों) की पात्रता और स्तर के सबूत के लिए दस्तावेजी साक्ष्य उनमें से प्रत्येक के द्वारा मताधिकार धारण सहित, जहां कहीं वह लागू हो; 3. यदि याचिका सदस्यों की ओर से प्रस्तुत की गई है तो उनके द्वारा दिया गया सहमति का पत्र, यदि लागू हो;

		किया जाए।	4. नाम, पते, धारित शेयरों की संख्या दर्शाने वाले ब्यौरों का विवरण और क्या उन सदस्यों, जिन्होंने अपनी ओर से प्रस्तुत की जाने वाली याचिका पर सहमति दी है, के संबंध में शेयरों पर समस्त मांग और बकाया रूपयों का भुगतान कर चुके हैं; 5. यदि याचिका केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी सदस्य या सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई है तो अधिकारी (अधिकारियों) या सदस्य या सदस्यों को याचिका प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत करने वाले केन्द्रीय सरकार के आदेश को याचिका में उसी रूप में संलग्न किया जाएगा; 6. याचिका को सत्यापित करने वाला शपथ-पत्र; 7. फीस के भुगतान के संबंध में शपथ-पत्र; 8. बोर्ड के संकल्प या वकालतनामा, जैसी भी स्थिति हो, की प्रति सहित हाजिरी का ज्ञापन; 9. याचिका की तीन प्रतियां; और 10. मामले के समर्थन में कोई अन्य दस्तावेज।

[फा.सं.1/30/2013-सीएल-V]

अमरदीप
20/12/2016

(अमरदीप सिंह भाटिया)
संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.716(अ) तारीख 21 जुलाई, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।